

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:—विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 112/2024

दायर दिनांक 30.05.2024

वादी

- सागरराम पुत्र बोदुराम
जाति मेघवाल
निवासी लाछडी
तहसील लाडनू जिला
डीडवाना—कुचामन।

प्रतिवादीगण

- तेजपाल पुत्र सुखाराम जाति नायक
निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना
- बालकिशन पुत्र बाबुलाल जाति खटीक
निवासी जसनगर तहसील मेडताशिटी
जिला नागौर
- कैलाशचन्द्र बरवड पुत्र मांगीलाल बरवड
जाति मेघवाल निवासी ध्यावा तहसील
लाडनू
- सुरेन्द्र कुमार पुत्र बालुराम जाति नायक
निवासी कुचामन मार्ग डीडवाना
- हरिश कुमार पुत्र कानाराम जाति खटीक
निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना
- महावीर प्रसाद पुत्र कानाराम जाति रेगर
निवासी निम्बी खुर्द तहसील डीडवाना
- सांवरमल पुत्र कानाराम जाति रेगर
निवासी निम्बीखुर्द तहसील डीडवाना
- सुशीला पत्नी कानाराम जाति रेगर
निवासी निम्बी खुर्द तहसील डीडवाना
जिला डीडवाना—कुचामन राजस्थान।
- तहसीलदार डीडवाना

बनाम्

दावा बाबत

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा— 53,88,188 R.T.Act.

उपस्थित:—

- श्री रिछपाल वकील वादी।
- श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 व 8 की ओर से

—:निर्णय :-

दिनांक 12.02.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि सरहद निम्बीखुर्दपटवार हल्का निम्बी कलां में स्थित खेत खसरा नम्बर 12 रकबा 9.9500 है। भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्यविभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 16.01.2026 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: प.1(16)रीडर/2025/58 दिनांक 11.02.2026 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान् बन्टवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु है। बन्टवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार

WKS

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

डीडवानाके द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: प.1(16)रीडर/2025/58 दिनांक 11.02.2026को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

-:: आदेश ::-

सरहद निम्बीखुर्दपटवार हल्का निम्बी कलां में स्थित खेत खसरा नम्बर 12 रकबा 9.9500 है. भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्यघोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवानासे प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: प.1(16)रीडर/2025/58 दिनांक 11.02.2026में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवानाका विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: प.1(16)रीडर/2025/58 दिनांक 11.02.2026निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

wkas
(विकास उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 12.02.2026को सरे इजलासमें सुनाया गया।

wkas
(विकास उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इबदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जास्ता दीवानी)
अज अदालत:-सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलारास विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 112/2024

दायर दिनांक 30.05.2024

वादी

1. सागरराम पुत्र बौदुराम
जाति भेघवाल
निवासी लाछडी
तहसील लाडनू जिला
डीडवाना -कुचामन।

प्रतिवादीगण

1. तेजपाल पुत्र सुखाराम जाति नायक
निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना
2. बालकिशन पुत्र बाबुलाल जाति खटीक
निवासी जसनगर तहसील मेडतासिटी
जिला नागौर
3. कैलाशचन्द बरवड पुत्र मांगीलाल बरवड
जाति भेघवाल निवासी ध्यावा तहसील
लाडनू
4. सुरेन्द्र कुमार पुत्र बालुराम जाति नायक
निवासी कुचामन मार्ग डीडवाना
5. हरिश कुमार पुत्र कानाराम जाति खटीक
निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना
6. महावीर प्रसाद पुत्र कानाराम जाति रेगर
निवासी निम्बी खुर्द तहसील डीडवाना
7. सांवरमल पुत्र कानाराम जाति रेगर
निवासी निम्बीखुर्द तहसील डीडवाना
8. सुशीला पत्नी कानाराम जाति रेगर
निवासी निम्बी खुर्द तहसील डीडवाना
जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान।
9. तहसीलदार डीडवाना

बनाम

दावा बाबत

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53,88,188 R.T.Act.

दिनांक 12.02.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी
मिनजानिव मुददई श्री रिछपाल वकील वादी एवं महेन्द्रसिंह खिलेरीअधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 व 8 की ओर से की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म
दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर सरहद निम्बीखुर्दपटवार हल्का
निम्बी कलां में स्थित खेत खसरा नम्बर 12 रकबा 9.9500 है. भूमि में वादीगण व
प्रतिवादीगण के मध्यघोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के
स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: प.
1(10)रीडर/2025/58 दिनांक 11.02.2026में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को
स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश
दिए जाते है।

Wkas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: प.
1(16)रीडर/2025/58 दिनांक 11.02.2026 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।
तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....

.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को
अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 12.02.2026 को सरे
इजलास में जारी की गयी।

wkas

सुदखत अधिकारी
डीडवाना

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	-		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के
जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

wkas

सुदखत अधिकारी
डीडवाना